


श्री विश्वविद्यालय
 ६१११ पेशा ६-७-१३ (11)
 जलक बाफ कोर्ट
 राजस्व मण्डल, म०प्र०
 बवालियर



R. 2960-11/13

मोहनलाल तनय रामसजीवन निवासी खजुहा, थाना गुढ, तहसील गुढ, जिला रीवा म०प्र०, हाल मुकाम अनंतपुर, थाना विश्वविद्यालय रीवा जिला रीवा म०प्र०

—निगरानीकर्ता/आवेदक

356
 6-7-13

बनाम

1-- म०प्र० राज्य

2-- शिवकुमार शर्मा तनय श्री रामानुज शर्मा निवासी ग्राम खजुहा, तहसील गुढ, जिला रीवा म०प्र०।
 —चैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदक

22-7-13

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०नू०रा०स०
 1959 विरुद्ध आदेश तहसोलदार तहसील
 गुढ, दिनांक 07/06/2013 प्र०क्र०
 235/2012-13

मान्यवर,

निगरानी से संबंधित तथ्य निम्न है :-

1-- भूमि ख०न० भूमि ख०न० 391/2, रकबा 0.936 हे० के भूमि स्वामी ललन देव द्विवेदी थे उक्त भूमि का दक्षिण पश्चिमी अंश भाग 07/04/12 को आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया गया था। आवेदक के नाम प्रामाणिकता हुआ अपनी क्रयशुदा भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन दिया जिसका प्र०क्र० 5 अ/12/12-13 था, तदनुसार पंजीकृत विक्रय पत्र में दर्ज चौहद्दी के अनुसार पुनर्विक कब्जा क्रयशुदा रकबा का सीमांकन किया गया। यद्यपि काद में इस प्रक्रिया में भी गलत गौर दर दिनांक 07/06/13 को आदेश पारित किया गया जिसकी अलग निगरानी इस न्यायालय में राखर है।

(Signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक 2960-तीन/2013 निगरानी

जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-10-18	<p>आवेदक की ओर से श्री शिवप्रसाद द्विवेदी एवं अनावेदक क्रमांक-2 की ओर से श्री अभिताभ चतुर्वेदी अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 2 अ-5 /2012-13 में पारित आदेश दिनांक 7-6-2012 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनावेदक क्रमांक-2 की ओर से तहसीलदार गुढ़ के समक्ष ग्राम खुजहा खुर्द की भूमि सर्वे क्रमांक 391 , 392, 393 का नक्शा तरमीम स्वीकार किया गया है।</p> <p>2/ राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर में प्रचलित निगरानी प्रकरण क्रमांक 2961/तीन/2013 भी भूमि सर्वे क्रमांक 391 के सीमांकन एवं नक्शा तरमीम कार्यवाही पर आधारित है, जिसमें तहसीलदार गुढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 5 अ-12/ 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 7-6-2013 से राजस्व निरीक्षक को निर्देश देकर उनके द्वारा इसी भूमि के सीमांकन एवं नक्शा दुरुस्ती प्रस्ताव को अमान्य करते हुये समस्त मेढ़िया कास्ताकारों के समक्ष सीमांकन उपरांत नक्शा तरमीम के पुर्नप्रस्ताव चाहे हैं जिसके कारण तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक क्रमांक 2 अ-5 /2012-13 में पारित आदेश दिनांक 7-6-2012 शून्यवत् है। तदनुसार राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 2961/तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक इस प्रकरण पर भी लागू रहेगा। तदनुसार निगरानी ऑंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।</p>	<p>सर्वे</p>